

action take
date.

अभियुक्ति

पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश

दिनांक

8.12.17

वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी रंका के अप्राथमिकी संख्या -5/15 के आधार पर प्रारंभ की गई थी। इस वाद की कार्यवाही में द्वितीय पक्ष द्वारा सूचित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय, गढ़वा में स्वत्व वाद दायर किया गया है। अतः इस न्यायालय में वाद को समाप्त किया जाना चाहिए। व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण वाद की कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। अंतिम निष्पादन हेतु अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत भेजें।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
रंका।

9.12.17

अभिलेख उपस्थापित।

वाद की कार्यवाही थाना प्रभारी ~~रंका~~ से प्राप्त प्रतिवेदन/आवेदक द्वारा प्राप्त आवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई थी। संबंधित भूमि का व्यवहार न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण वाद की कार्यवाही यथास्थिति समाप्त की जाती है।

सदस्य- 1
लो0अ0, गढ़वा

सदस्य- 2
लो0अ0, गढ़वा

सदस्य- 3
लो0अ0, गढ़वा

